



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, सोमवार, 01 अप्रैल, 2013 ई0

चैत्र 11, 1935 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 143/XXXVI(3)/2013/15(1)/2013

देहरादून, 01 अप्रैल, 2013

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित “भारतीय स्टाम्प (उत्तराखण्ड संशोधन) विधेयक, 2013” पर दिनांक 28 मार्च, 2013 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 20, वर्ष 2013 के रूप में सर्व-साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

भारतीय स्टाम्प (उत्तराखण्ड संशोधन) अधिनियम, 2013**{उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 20 वर्ष 2013}**

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 में उत्तराखण्ड के परिप्रेक्ष्य में अग्रेतर संशोधन के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के चौसठवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो—

- संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ
1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भारतीय स्टाम्प (उत्तराखण्ड संशोधन) अधिनियम, 2013 है।
 - (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तराखण्ड में होगा।
 - (3) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा, जिसे राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त नियत करे।

खण्ड 9 का संशोधन

2. भारतीय स्टाम्प (उत्तराखण्ड संशोधन) विधेयक, 2011 (उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा दिनांक 16 मार्च, 2011 को यथापारित) के खण्ड 9 को निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा; अर्थात् :-

“किसी परोक्षी के अधीन, जो सम्यक रूप से स्टाम्पित नहीं है, मत देगा या मत देने का प्रयत्न करेगा, वह ऐसे प्रत्येक अपराध के लिए जुर्माने से, जो ₹ 5000 तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।”

आज्ञा से,

डी0 पी0 गैरोला,
प्रमुख सचिव।

No. 143/XXXVI(3)/2013/15(1)/2013

Dated Dehradun, April 01, 2013

NOTIFICATION**Miscellaneous**

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of ‘**Indian Stamp (Uttarkhand Amendment) Act, 2013**’ (Adhiniyam Sankhya 20, of 2013)

As Promulgated by the Governor of Uttarakhand and assented on
28 March, 2013.

Indian Stamp (Uttarakhand Amendment) Act, 2013

[Uttarakhand Act No. 20 of 2013]

An

Act

to further amend the Indian Stamp Act, 1899 to the context of the State of Uttarakhand.

It is hereby enacted by the Uttarakhand Legislative Assembly in the Sixtieth-fourth Year of the Republic of India as follows :-

- Short title,
Extent and
Commencement**
1. (1) This Act may be called the Indian Stamp (Uttarakhand Amendment) Act, 2013.
- (2) It extends to the whole of Uttarakhand.
- (3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the official Gazette, appoint in this behalf.

- Amendment of
clause 9**
2. Indian Stamp (Uttarakhand Amendment) Bill, 2011 (as passed by the Uttarakhand Legislative Assembly on dated 16 March, 2011) clause 9 shall be substituted as follows; namely :-

“Voting or attempting to vote under any proxy not duly stamped shall for every such offence, be punishable with fine which may extend to ₹ five thousand.”

By Order,

D. P. GAIROLA,
Principal Secretary.